मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा, जिला दौसा राज.

(अतिरिक्त कार्यभार)

पीठासीन अधिकारी — प्रेम राजेश — आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

UID No. RJ00444

मोटर दुर्घटना दावा संख्या — **MACT Main 175/2024**

(CNR. NO. RJDS010011582024)

1. कान्ता देवी मीना पत्नी स्व. श्री सुरमा प्रसाद मीना, आयु 41 वर्ष,
2. लक्ष्मी बाई मीना पुत्री स्व. श्री सुरमा प्रसाद, आयु 27 वर्ष,
3. हंसराज कुमार पुत्र स्व. श्री सुरमा प्रसाद, आयु 24 वर्ष,
4. बलराम पुत्र स्व. श्री सुरमा प्रसाद, आयु 24 वर्ष,
5. रोहित कुमार मीना पुत्र स्व. श्री सुरमा प्रसाद, आयु 18 वर्ष,

   समस्त निवासी—रेल्वे स्टेशन के पास प्रेम नगर दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. सूरवीरसिंह पुत्र श्री जगवीरसिंह, निवासी—जब्बलपुर, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर (चालक वाहन बस No. RJ-05-PA-3397)।
2. तारेश शर्मा पत्नी जगराम पाराशर, निवासी—जसवन्त नगर भरतपुर, पुलिस थाना भरतपुर, जिला भरतपुर (स्वामी वाहन बस No. RJ-05-PA-3397)।
3. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान (बीमा कंपनी वाहन बस No. RJ-05-PA-3397)।

...अप्रार्थीगण

याचिका अंतर्गत धारा—166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित धारा 164 (क) राजस्थान मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 बाबत प्राप्त किये जाने क्षतिपूर्ति राशि

उपस्थितः–

1. श्री सांवलराम मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कृष्ण अवतार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

–निर्णय– **दिनांक 30.03.2026**

(1) हस्तगत क्लेम याचिका प्रार्थीगण कान्ता देवी मीना व अन्य द्वारा अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित धारा 164 (क) राजस्थान मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध मृतक सुरमा प्रसाद मीना के शरीर पर सड़क दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण हुयी मृत्यु बाबत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त क्लेम याचिका इस अधिकरण में दिनांक 24.09.2024 को प्रस्तुत की गयी है, जो नियमानुसार दर्ज की गयी, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा कलां जा रहा था कि समय दिन के करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर पहुंचा तो वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे सुरमा प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी।

(3) दुर्घटना से पूर्व मृतक सुरमा प्रसाद मीना ह्ष्ठ–पुष्ठ एवं स्वस्थ शरीर का मेहनती, होनहार व होशियार नौजवान था, जो फल फ्रूट बेचने का कार्य, कृषि व पशुपालन का कार्य करके 45,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। सुरमा प्रसाद को फूड ऑपरेटर का लाइसेन्स भी राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग से मिला हुआ था। नगर परिषद, दौसा से फुटकर कार्ड बना हुआ था। सुरमा प्रसाद इन्कम टैक्स रिटर्न भी भरता था। सुरमा प्रसाद बहुत ही मेहनती था एवं हमेशा अधिक से अधिक कार्य करके अधिक से अधिक तरक्की की ओर अग्रसर रहता था। सुरमा प्रसाद भविष्य में अधिक तरक्की करके काफी अधिक आय अर्जित करता, जिससे प्रार्थीगण वंचित हो गये है। मृतक सुरमा प्रसाद द्वारा अर्जित आय से ही प्रार्थीगण का भरण–पोषण होता था। प्रार्थीगण, मृतक सुरमा प्रसाद द्वारा अर्जित आय पर ही आश्रित थे। परन्तु अकस्मात घटी उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण सुरमा प्रसाद की मृत्यु

हो जाने से प्रार्थीगण उक्त आय से एवं भविष्य में अधिक तरक्की कर अधिक अर्जित की जाने वाली आय से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो गये। प्रार्थीगण के पास आय का व जीवन–यापन का कोई सहारा नहीं रहा है।

(4) प्रार्थीगण कान्ता देवी मीना व अन्य ने अपनी क्लेम याचिका के विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,93,00,000/- रूपये की मांग की है।

(5) अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक व अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी ने उक्त याचिका का जवाब प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश चरणों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर गलत होना बताते हुए अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक ने अपने वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से नहीं चलाया है, बल्कि हमेशा यातायात नियमों के तहत ही वाहन को चलाया है। अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक की गलती व लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा पुलिस से मिलीभगत करके साजकर षड़यंत्रपूर्वक वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को लिप्त करवाकर गलत तरीके से चालान पेश करवाकर क्लेम उठाने के उद्देश्य से झूठी क्लेम याचिका पेश की है। विपक्षी संख्या 02 वाहन स्वामी ने अपने वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को सभी जोखिमों हेतु विपक्षी संख्या 03 बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड से बीमा करवा रखा है। फिर भी यदि न्यायाधिकरण किन्हीं सूक्ष्म कारणों से प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु जिम्मेदार माने तो विपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी द्वारा समस्त क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु जिम्मेदार है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(6) विपक्षी संख्या 03 बीमा कंपनी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्तियों में अंकित किया है कि वाहन बस संख्या RJ-05-PA-3397 के बीमित व स्वामी विपक्षी संख्या 02 ने तथाकथित दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 की सूचना विपक्षी संख्या 03 बीमा कंपनी को नहीं देकर बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है। साथ ही बीमा पॉलिसी की शर्तों में से एक आवश्यक शर्त यह भी है कि उक्त वाहन को बरवक्त तथाकथित दुर्घटना चलाने वाला व्यक्ति वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्रधारी मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए एवं तथाकथित दुर्घटना के वक्त वाहन स्वामी के पास वाहन बस संख्या RJ-05-PA-3397 को तथाकथित दुर्घटनास्थल के मार्ग पर चलाने हेतु रूट का परमिट व फिटनेस नहीं होने से बीमा संविदा का खण्डन होने तथा मोटर वाहन अधिनियम के विरूद्ध वाहन को चलाने से बीमा कंपनी का उक्त

तथाकथित दुर्घटना के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका कतई गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है एवं याचिका में अंकित तथाकथित कोई दुर्घटना बीमित वाहन से घटित नहीं हुई है, बल्कि कथित दुर्घटना मृतक सुरमा प्रसाद स्वयं द्वारा अपनी मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-BS-3822 को नेशनल हाईवे कट पर परिवहन नियमों के विपरीत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चला रहा था, जिसके कारण उक्त दुर्घटना कारित हुई है, ऐसी स्थिति में कथित दुर्घटना में मृतक की स्वयं की गलती व लापरवाही के लिए विपक्षी बीमा कंपनी किसी प्रकार से उत्तरदायी व जिम्मेदार नहीं है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका विपक्षी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(7) पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2025 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा कलां जा रहा था कि समय दिन के करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर पहुंचा तो वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे सुरमा प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी ? **..प्रार्थीगण**

2. आया उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा वाहन को अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के हितार्थ, लाभार्थ व उसके प्रयोजनार्थ चलाया जा रहा था ? **..प्रार्थीगण**

3. आया अप्रार्थीगण अपने लिखित अभिकथनों की आपत्तियों एवं विशेष कथनों के आधार पर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं, या नहीं ? **..अप्रार्थीगण**

4. आया प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो किस–किस अप्रार्थीगण से कितनी–कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

..प्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

(8) प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पत्नी प्रार्थिया कान्ता देवी ए डब्ल्यू 01, राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02 एवं मृतक सुरमा

प्रसाद मीना का पुत्र हंसराज कुमार ए डब्ल्यू 03 को साक्ष्य के शपथ–पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत 25 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में जांचकर्ता ज्योति शर्मा एन ए डब्ल्यू 03/01 को साक्ष्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 03/01 लगायत 03/10 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं।

(9) बहस अंतिम सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के क्लेम याचिका व लिखित बहस में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क रहे हैं कि दिनांक 26.07.2024 को दुर्घटना के समय मृतक सुरमा प्रसाद अपनी मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 को लेकर नेशनल हाईवे पर पुलिस लाईन चौराहे पर बने हुए कट पर रोड़ के मध्य डिवाईडर की सीमा में रोड़ क्रॉस करने के लिए खड़ा हुआ था कि अचानक जयपुर की तरफ से आ रही लोक परिवहन की बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस डिवाईडर पर चढ़कर रोड़ के मध्य डिवाईडर की सीमा पर बने कट पर रोड़ क्रॉस करने के इंतजार में खड़े मृतक सुरमा प्रसाद के टक्कर मार दी व मृतक को 40 फिट घसीटते हुए दूसरी लेन में ले गयी। पत्रावली में घटना का नक्शा मौका प्रदर्श 04 प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना केवल बस चालक की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है एवं मृतक की मोटरसाईकिल, बस चालक द्वारा मारी गयी टक्कर के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके लिए प्रार्थीगण की ओर से उक्त दुर्घटना का चक्षुदर्शी साक्षी राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02 के बयान लेखबद्ध करवाये हैं, जिसने दुर्घटना होने की ताईद अपने बयानों में की है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक सूरवीर सिंह के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चार्जशीट प्रदर्श 03 प्रस्तुत की गयी है। मृतक द्वारा फल–फ्रूट बेचने के व्यवसाय के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से नगर परिषद, दौसा द्वारा जारी Street Vendor Unique ID Card No. 328 व राजस्थान सरकार के अधीन नगर परिषद, दौसा व स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर का फुटकर विक्रेता का कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी UDYAM का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश किये हैं, जिनसे मृतक द्वारा फल–फ्रूट बेचने का व्यवसाय करना स्पष्ट होता है। उक्त फल–फ्रूट बेचने के व्यवसाय के लिए मृतक द्वारा

भरी गयी असेसमेंट ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23 एवं असेसमेंट ईयर 2023-24 की I.T.R. पेश की गई हैं, जिनके अनुसार मृतक सुरमा प्रसाद मीना को फल–फ्रूट बेचने के व्यवसाय से कुल आय असेसमेंट ईयर 2021-22 में 4,15,870/- रूपये, असेसमेंट ईयर 2022-23 में 4,57,480/-रूपये एवं असेसमेंट ईयर 2021-22 में 4,99,900/- रूपये होना बताया है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने का निवेदन किया। समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

1. **Malarvizhi and Ors. v/s United India Insurance Co. Ltd and another**

   2020 ACJ 526 (S.C.), decided on 09.12.2019

2. **Vijayalaxmi and another v/s National Insurance Co. Ltd and ors.**

   2025 ACJ 335 (S.C.), decided on 11.02.2025

3. **Soma Ghosh and Ors. v/s United India Insurance Co. Ltd and Ors.**

   2024 ACJ 743, decided on 05.02.2024 (Calcutta H.C.)

4. **United India Insurance Co. Ltd v/s Indiro Devi and Ors.**

   2018 ACJ 2051 (S.C.), decided on 03.07.2018

(10) इसके प्रतिवाद में अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक व अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क लिये हैं कि वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा कभी भी तेजगति, गफलत व लापरवाही से नहीं चलाया गया, बल्कि हमेशा ही सही तरीके से सड़क व परिवहन नियमों की पालना करते हुए ही चलाता है। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक की गफलत व लापरवाही से नहीं हुई। वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी दी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमित किया हुआ है, इसलिए उक्त वाहन से होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी द्वारा लिया हुआ है, इसलिए क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(11) अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब क्लेम याचिका व लिखित बहस में अंकितानुसार मुख्य रूप से तर्क लिये हैं कि याचिका के अनुसार

मृतक सुरमा प्रसाद दिनांक 26.07.2024 को अपनी मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से महेश्वरा की तरफ जा रहा था तो पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर लोक परिवहन बस संख्या RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति से चलाते हुए लाया और रोंग साईड में आकर सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी, जबकि नक्शा मौका प्रदर्श 04 के अनुसार तथाकथित दुर्घटना मृतक सुरमा प्रसाद द्वारा मोटरसाईकिल को तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाने के कारण घटित हुई है, क्योंकि जिस जगह दुर्घटना बतायी गयी है, वह नेशनल हाईवे के कट पर बतायी गयी है, जहां पर दोनों तरफ वाहन आने–जाने पर सावधानीपूर्वक रोड़ क्रॉस किया जाता है, परन्तु मृतक अपनी मोटरसाईकिल को बिना दायें–बायें देखकर रोड़ क्रॉस कर रहा था और तेजगति, गफलत व लापरवाही से एवं परिवहन नियमों के विपरीत चलाते हुए स्वयं की गलती व लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिससे तथाकथित दुर्घटना में मृतक सुरमा प्रसाद की स्वयं की नेगलीजेन्सी है, जिसके लिए बीमा कंपनी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए उत्तरदायी व जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा उक्त याचिका मृतक की पत्नी, पुत्र व पुत्री द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें मृतक के पुत्र व पुत्री बालिग हैं, जो अपने पिता पर निर्भर नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मृतक की आय कुल 45,000/- रूपये मासिक बतायी है व आयकर देना बताया है, जो कतई गलत है, क्योंकि मृतक का परिवार बी.पी.एल. श्रेणी का होना व मृतक को सब्जी मण्डी में सब्जी बेचने का कार्य करना बताया है। जिसके लिए मृतक की पत्नी कान्ता देवी ए डब्ल्यू 01 ने अपने बयानों में पुत्र व पुत्री को बालिग होना व उसका स्वयं का परिवार बी.पी.एल. श्रेणी का होना और आयकर रिटर्न प्रदर्श 23 से 25 प्रस्तुत की गयी है, जिसके बारे में नहीं समझना बताया है तथा घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02 को बतौर साक्षी क्लेम दिलाने के लिए झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण की जांचकर्ता ज्योति शर्मा एन ए डब्ल्यू 3/1 द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट प्रदर्श एन ए 3/2 ता एन ए 3/5 पेश की हैं तथा मृतक की आय के संबंध में जांच की तो मृतक सब्जी मण्डी में सब्जी का ठेला लगाना व मृतक की कोई दुकान नहीं होना बताया है तथा वर्तमान में उसका बेटा ठेला लगाता है। मृतक सुरमा प्रसाद के राशनकार्ड की जांच की तो जांच में पाया कि मृतक सुरमा प्रसाद का परिवार बी.पी.एल. श्रेणी का है व राज्य सरकार के रसद विभाग से बी.पी.एल. श्रेणी में मिल रही सभी सुविधाओं का लाभ कई वर्षों से ले रहा है तथा मीना फ्रूट भण्डार के नाम से कोई दुकान/फर्म नहीं है, बल्कि रिटर्न में दिखायी गयी आय कतई गलत दर्शाकर सार्वजनिक धन को हड़पने की नियत से उक्त क्लेम याचिका प्रस्तुत की है। साथ ही बीमित वाहन के चालक द्वारा

वाहन को बिना वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस एवं परमिट–फिटनेस के बिना वाहन का संचालन किया जा रहा था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(12) उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। उभयपक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिवचनों, मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए अधिकरण द्वारा विरचित विवाद्यकों पर अधिकरण का निर्णय निम्न प्रकार से है :–

विवाद्यक संख्या 01

(13) इस विवाद्यक के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में सर्वप्रथम पत्रावली पर प्रार्थीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पत्नी प्रार्थिया **कान्ता देवी ए डब्ल्यू 01** ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में मूल याचिका के समान ही कथन किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श 01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श 02, चार्जशीट प्रदर्श 03, फर्द निरीक्षण नक्शा मौका प्रदर्श 04, पी.एम.आर. प्रदर्श 05, नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 06, नोटिस धारा 134 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 07, फर्द जब्ती वाहन बस प्रदर्श 08, फर्द जब्ती असल कागजात प्रदर्श 09, एम.आई. प्रदर्श 10, रजिस्ट्रेशन प्रदर्श 11, डी.एल. प्रदर्श 12, इंश्योरेन्स प्रदर्श 13, परमिट–फिटनेस प्रदर्श 14, मृतक का आधारकार्ड प्रदर्श 15, मृतक का पैनकार्ड प्रदर्श 16, जन–आधारकार्ड प्रदर्श 17, नगर परिषद, दौसा स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर फुटकर विक्रेता कार्ड प्रदर्श 18, नगर परिषद, दौसा फुटकर विक्रेता कार्ड प्रदर्श 19, मृतक का डी.एल. प्रदर्श 20, मृतक की मोटरसाईकिल की आर.सी. प्रदर्श 21, जमाबन्दी प्रदर्श 22, कम्प्यूटराइज्ड आयकर रिटर्न वर्ष 2023-24 प्रदर्श 23, कम्प्यूटराइज्ड आयकर रिटर्न वर्ष 2022-23 प्रदर्श 24 एवं कम्प्यूटराइज्ड आयकर रिटर्न वर्ष 2021-22 प्रदर्श 25 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि यह बात सही है कि मैंने दुर्घटना नहीं देखी थी। मैंने अपनी याचिका के साथ जनआधार कार्ड व राशनकार्ड पेश किया है, जिसमें मेरी उम्र 44 वर्ष है जो प्रदर्श एन ए 03/01 है और जन आधारकार्ड प्रदर्श 17 है।

मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरे पति मेरे से बड़े थे या नहीं। यह बात सही है कि आज भी हमारे परिवार में राशन के गेंहू आते हैं, जिसका अंकन 03/01 में है। मैं यह नहीं बता सकती कि मेरा परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में आता हो। मैं यह नहीं बता सकती कि जिस परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- रूपये से कम हो, उन्हीं का बी.पी.एल. कार्ड बनता है। मैं यह नहीं बता सकती कि मेरे परिवार की आय 1,00,000/- रूपये से कम हो। यह कहना गलत है कि बिजली कनेक्शन निःशुल्क श्रेणी में लगा हो, अजखुद कहा कि हम बिजली का बिल भरते है। मैं प्रदर्श 23 से 25 के बारे में नहीं समझती हूं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। मेरे पति ठेला लगाते थे। यह बात सही है कि मेरे पति सब्जी व फल खरीदते थे, उनके बिल मैंने पेश नहीं किये हैं। मैं यह नहीं बता सकती कि कितना माल खरीदते–बेचते थे। आज भी हमारी दुकान मण्डी में है किन्तु कोई उसको चलाने वाला नहीं है। मेरा बड़े वाला लड़का विकलांग है। यह बात सही है कि मैंने कोई बैंक स्टेटमेन्ट पेश नहीं किया है। यह बात भी सही है कि मैंने अपने पति के द्वारा खरीदे–बेचे गये सामान का कोई भी वाउचर बिल, लेजर प्रस्तुत नहीं किया है। जो इनकम टैक्स रिटर्न मैंने पेश की है, वो 02 साल की एक साथ एक ही दिनांक 29.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। यह कहना गलत है कि बैंक से लोन लेने के लिए मेरे पति द्वारा गलत आय दिखाकर रिटर्न भरी हो।

(14) प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी **राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02** ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में दुर्घटना के संबंध में कथन किये हैं कि दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा कलां जा रहा था कि समय दिन के करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर पहुंचा तो वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे सुरमा प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों से सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि मेरे पुलिस में बयान दुर्घटना के कितने दिन बाद हुये थे, आज मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं दुर्घटना के बाद घर चला गया होउं, बल्कि 108 को कॉल किया था। मैं जब 108 को कॉल किया तब ही पुलिस आ गयी थी क्योंकि डिप्टी सी.एम. के प्रोटोकोल के कारण पुलिस पास में ही थी। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि मैं सुरमा प्रसाद को वर्ष 2023 से जानता हूं। मैं विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय से जानता हूं। वक्त दुर्घटना मैं गैलेक्सी होटल में था, मैंने डिप्टी सी.एम. को ज्ञापन दिया था। दुर्घटनास्थल से गैलेक्सी होटल 200 -

300 मीटर दूरी पर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 04 में गैलेक्सी होटल नहीं दर्शाया हुआ है। यह कहना गलत है कि गैलेक्सी होटल दुर्घटनास्थल से आधा कि.मी. दूरी पर हो। यह बात सही है कि दुर्घटनास्थल पर कट है। बस का कलर मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोक परिवहन की बस थी। यह बात सही है कि दुर्घटना से पहले मैंने मृतक को नहीं देखा था अजखुद कहा कि 200 - 300 मीटर की दूरी से आया तब दुर्घटना के पश्चात पता लगा कि मृतक सुरमा प्रसाद है। यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल सवार की गलती से दुर्घटना हुयी हो। अजखुद कहा कि बस चालक बस को तेजगति से चलाकर लाया था। मृतक की मोटरसाईकिल आगे से पूरी क्षतिग्रस्त हो गयी थी। यह कहना गलत है कि दुर्घटना के वक्त काफी वाहन आ–जा रहे हों, दुर्घटना के बाद रोड़ जाम हो गया था।

(15) इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के अनुसार हस्तगत प्रकरण में दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा कलां जा रहा था कि समय दिन के करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर पहुंचा तो वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे सुरमा प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि प्रकरण में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श 01 दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को ही मृतक सुरमा प्रसाद मीना के पुत्र हंसराज मीना द्वारा मुख्य रूप से इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि ''मेरे पिताजी सुरमा प्रसाद पुत्र श्री हरचन्दा मीना, निवासी–प्रेमनगर दौसा, सब्जी मण्डी दौसा में फल–फ्रूट का व्यवसाय करते थे, जो किसी काम से दिनांक 26.07.2024 को अपनी मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से महेश्वरा की तरफ गये थे कि रास्ते में समय करीब 01:15 PM पर पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर एक लोक परिवहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया तथा गलत साईड (रोंग साईड) में आकर सही दिशा में चल रहे मेरे पिताजी की मोटरसाईकिल के बस से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई....इत्यादि।'' जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क है कि उक्त दुर्घटना उनके बीमित वाहन से नहीं हुई है, बल्कि स्वयं मृतक सुरमा प्रसाद मीना मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 को नेशनल हाईवे कट पर परिवहन नियमों के विपरीत चलाते हुए स्वयं की तेजगति, गफलत व लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एवं दुर्घटना दिनांक के संबंध में

कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि याचिका में बीमित वाहन को क्लेम लेने के लिए मिथ्या लिप्त किया गया है। इस संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यानुसार मृतक सुरमा प्रसाद मीना को दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को ही PNKS Medical College and Attached Hospital, Dausa में ईलाज हेतु लेकर गये। जहां पर चिकित्सकों द्वारा सुरमा प्रसाद मीना को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके लिए मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 05 पत्रावली में प्रस्तुत की गयी है, जिसमें Brought Dead in A/E of DH Dausa on 26.07.2024 at 01:45 PM अंकित है तथा मृतक सुरमा प्रसाद मीना की बॉडी का निरीक्षण दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को ही समय 03:00 PM पर PNKS Medical College and Attached Hospital, Dausa में किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु 06 घण्टे के भीतर होना बताया है और मृत्यु का कारण मृत्यु–पूर्व उसके सिर में आयी चोट से Coma में जाने से होना बताया है, जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसकी संपुष्टि चक्षुदर्शी साक्षी राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02 के सशपथ बयानों से भी होती है कि ''दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मीना अपनी मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा जा रहा था तो समय करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे सुरमा प्रसाद मीना के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों से सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी।'' उक्त गवाह जिरह में भी विचलित नहीं हुआ है और बरवक्त दुर्घटना बस चालक द्वारा बस को तेजी से चलाकर लाना बताया है तथा मृतक की मोटरसाईकिल आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त होना व टक्कर मारने वाली बस लोक परिवहन की बस होना बताया है। हालांकि बस के कलर के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है किन्तु बरवक्त दुर्घटना स्वयं को दुर्घटनास्थल पर होना कहा है। उपरोक्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा उक्त दिनांक को कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई हो और प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01, 02 से मिलकर व पुलिस से साजकर प्रश्नगत वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को दुर्घटना में गलत रूप से संलिप्त किया हो। जहां तक बीमित वाहन को दुर्घटना में झूठा लिप्त करने का प्रश्न है ? तो इस संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया गया है और बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक सूरवीरसिंह के विरूद्ध धारा अंतर्गत धारा 281, 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत

आरोप–पत्र प्रदर्श 03 प्रस्तुत किया गया है। इसके खण्डन में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई है, इसलिए बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क कि उनके बीमित वाहन को उक्त दुर्घटना में झूठा लिप्त किया गया हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है।

(16) जहां तक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का प्रश्न है, तो प्रार्थिया कान्ता देवी ने अपनी सशपथ साक्ष्य में दिनांक 26.07.2024 को समय करीब 01:15 बजे वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 के चालक/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर पुलिस लाईन चौराहा पर मृतक सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 के टक्कर मारना बताया है, जिससे मृतक सुरमा प्रसाद की मृत्यु हुई। उक्त दुर्घटना के पश्चात मृतक सुरमा प्रसाद को दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को ही PNKS Medical College and Attached Hospital, Dausa में ईलाज हेतु लेकर गये, जहां पर चिकित्सकों द्वारा सुरमा प्रसाद मीना को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके लिए मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 05 एवं फर्द पंचायतनामा व रसीद सुपुर्दगी लाश की फोटोप्रतियां पत्रावली में प्रस्तुत की गई हैं। हालांकि प्रार्थिया हस्तगत प्रकरण में हुई दुर्घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु प्रार्थिया की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02 को साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है, जिसने दुर्घटना स्वयं के सामने होना व दुर्घटनास्थल पर कट होना और टक्कर मारने वाला वाहन लोक परिवहन की बस होना व मृतक की मोटरसाईकिल आगे से पूरी क्षतिग्रस्त होना बताया है, जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा मौका प्रदर्श 04 से हो रही है, जिसमें दुर्घटना जयपुर से आगरा की ओर जाने वाले NH-21 पर पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर बने कट पर बस द्वारा मोटरसाईकिल के ' X_1 ' स्थान पर टक्कर मारी, जिससे मृतक मोटरसाईकिल सहित लगभग 40 फीट दूर ' X_2 ' स्थान तक घसीटता हुआ ले जाना अंकित है। इसके अलावा दुर्घटना के बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 एवं वाहन मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 को जब्त किया गया है, जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श 08 व मृतक की मोटरसाईकिल की फर्द जब्ती की फोटोप्रति प्रस्तुत है, जिनमें प्रदर्श 08 में वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 के आगे की कण्डक्टर साईड की नीचे की हैडलाईट टूटी हुई है व आगे का बम्फर नंबर प्लेट के नीचे से डैमेज होकर मुड़ा हुआ है तथा वाहन मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 का हेण्डिल दाहिनी तरफ से मुड़ा हुआ है व बायें तरफ से रगड़कर मुड़ा है, लेगगार्ड दोनों तरफ से मुड़े हुए है, इंजन का चेम्बर दाहिनी तरफ से फुटा हुआ है, टंकी में दाहिने तरफ मोच है व बायीं तरफ रगड़ के

निशान है, मोटरसाईकिल दाहिने तरफ से चोट लगने से पूरी तरह डैमेज है तथा रगड़क के कारण बायीं तरफ से क्षतिग्रस्त होने के कारण मोटरसाईकिल चलने की स्थिति में नहीं होने का अंकन है अर्थात मृतक की मोटरसाईकिल दायीं तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे राकेश कुमार सैनी ए डब्ल्यू 02 चक्षुदर्शी साक्षी के बयानों की संपुष्टि हो रही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर मृतक सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 के टक्कर मारने से कारित हुई है। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक सूरवीरसिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 281, 106 (1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है, इसलिए अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के यह तर्क कि उक्त दुर्घटना उनके बीमित वाहन से नहीं हुई हो एवं बीमित वाहन को उक्त दुर्घटना में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया हो और मृतक सुरमा प्रसाद की स्वयं की गलती व लापरवाही से यह दुर्घटना घटित हुई हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए यह संभावनाओं की आधिक्यता तक प्रकट हुआ है कि "दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा कलां जा रहा था कि समय दिन के करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर पहुंचा तो वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे सुरमा प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी।" अतः उपरोक्तानुसार विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

(17) इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श 06 के जवाब में अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमती तारेश शर्मा ने वाहन बस संख्या RJ-05-PA-3397 की स्वामिनी होना एवं उक्त वाहन को बरवक्त दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 सूरवीरसिंह द्वारा चलाया जाना बताया है, जिसे धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श 07 के जवाब में अप्रार्थी संख्या 01 श्री सूरवीरसिंह ने बरवक्त दुर्घटना

दिनांक 26.07.2024 को वाहन बस संख्या RJ-05-PA-3397 को स्वयं द्वारा चलाया जाना स्वीकार किया है। अतः यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा वाहन को अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामिनी के निर्देशन में एवं उसी के लाभार्थ और हितार्थ चलाया जा रहा था। अतः यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03

(18) इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने याचिका के जवाब में वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 को उनके यहां बीमित होना स्वीकार किया है, किन्तु स्वयं द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रश्नगत वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 के चालक की तेजगति, गफलत व लापरवाही नहीं बतायी है, जबकि पुलिस ने इस प्रकरण में बाद विस्तृत अनुसंधान वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 01 सूरवीरसिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 281, 106 (1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत चालान पेश किया है, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से सक्षम स्तर पर कोई कार्यवाही या किसी प्रकार की कोई अपील/रिवीजन सक्षम न्यायालय में की गई हो, ऐसी कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है, जिससे स्पष्ट होता हो कि प्रश्नगत वाहन चालक द्वारा वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाने के कारण उक्त दुर्घटना कारित नहीं की गई। इसके अलावा पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक सूरवीरसिंह का ड्राइविंग लाईसेंस प्रदर्श 12 प्रस्तुत किया गया है, जो कि दिनांक 17.09.2012 को जारी किया गया है तथा दिनांक 26.10.2025 तक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए व 16.09.2032 तक नोन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए वैध व प्रभावी है और दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को होना बताया है, इसलिए उक्त वाहन चालक सूरवीर सिंह का ड्राइविंग लाईसेंस दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी था। प्रश्नगत वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 की बीमा पॉलिसी प्रदर्श 13 है, जो कि दिनांक 31.01.2024 से दिनांक 30.01.2025 तक के लिए जारी की गयी है तथा दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को होना बताया है, इसलिए उक्त बीमा दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी था। वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 का फिटनेस प्रदर्श 14 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 का फिटनेस दिनांक 31.10.2023 से दिनांक 30.10.2025 तक के लिए जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 का कार्यालय परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा प्रश्नगत वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 की दैनिक मार्ग दर्शिका की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397

को दिनांक 26.07.2024 को भरतपुर से जयपुर मार्ग पर चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी है एवं इसमें वाहन स्वामी का नाम तारेश शर्मा, निवासी–भरतपुर का नाम अंकित है, इसलिए प्रश्नगत वाहन के रूट चार्ट के अनुसार वाहन का परमिट दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को वैध एवं प्रभावी था। इसके खण्डन में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना माना जा सके। उपरोक्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक सूरवीर सिंह द्वारा दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को भरतपुर से जयपुर मार्ग पर वाहन बस नंबर RJ-05-PA-3397 का संचालन किया जा रहा था। इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना माना जा सके। अतः इन सब परिस्थितियों में उपरोक्तानुसार पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में यह विवा़द्यक अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 04</u>

(19) विवाद्यक संख्या 04 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। यह विवाद्यक प्रार्थीगण को दिलवायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित है। अधिकरण को यह निर्धारण करना है कि यह राशि क्या हो ?

(20) क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम हमें पत्रावली पर आयी साक्ष्य से मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आयु व मासिक आय पर विचार करना है ? जहां तक मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आय का प्रश्न है, तो प्रार्थीगण ने याचिका में मृतक सुरमा प्रसाद मीना को फल फ्रूट बेचने का कार्य, कृषि एवं पशुपालन का कार्य करके 45,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है तथा मृतक सुरमा प्रसाद को फूड ऑपरेटर का लाइसेन्स भी राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग से मिला हुआ होना बताया है तथा याचिका के विभिन्न मदों में कुल 1,93,00,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है। प्रार्थीगण की ओर से मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आय के संबंध में प्रार्थी **हंसराज ए डब्ल्यू 03** को साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी सशपथ साक्ष्य में कथन किये हैं कि "दिनांक 26.07.2024 को सुरमा प्रसाद मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-BS-3822 से दौसा से महेश्वरा कलां जा रहा था कि समय दिन के करीब 01:15 बजे पुलिस लाईन चौराहा, दौसा पर पहुंचा तो वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और सुरमा प्रसाद की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे

सुरमा प्रसाद के गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण सुरमा प्रसाद की मृत्यु हो गयी। यह दुर्घटना वाहन बस No. RJ-05-PA-3397 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजगति, गफलत, लापरवाही एवं असावधानी से चलाने के कारण हुई है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त उक्त दुर्घटना में मृतक सुरमा प्रसाद को फल फ्रूट बेचने का कार्य एवं कृषि, पशुपालन व दूध बेचने का कार्य करके 1,00,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है और मृतक सुरमा प्रसाद को फूड ऑपरेटर का लाइसेन्स भी राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग से मिला हुआ होना बताया है।'' अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि ''यह बात सही है कि मैंने दुर्घटना नहीं देखी है। यह बात सही है कि मेरा परिवार बी.पी.एल. श्रेणी का है। यह बात सही है कि राशन कार्ड से गेहूं उठाते है। यह बात सही है कि राजस्थान सरकार की सभी बी.पी.एल. श्रेणी की सुविधाएं मिल रही है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 23 से 25 आयकर रिटर्न के दस्तावेज हैं, जो हमारे पिताजी ने बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी बनवाई हो। यह बात भी सही है कि याचिका के साथ हमने कोई रिटर्न में अंकित मालखरीद के बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि 02 वर्ष की रिटर्न एक साथ एक ही दिनांक को प्रस्तुत की गई है। मेरे पिताजी ठेला सुबह से शाम तक लगाते थे। मेरे पिताजी मण्डी से फल लाकर बेचते थे, जिसके बिल मैंने आज पेश नहीं किये हैं क्योंकि कच्ची रसीद पर बिल बनाते थे। यह कहना गलत है कि हमारे पिताजी द्वारा लगाये गये ठेले में 200 - 300 रूपये ही बचते हो। जिस जगह मेरे पिताजी फल का ठेला लगाते थे उस मण्डी में फल व सब्जी के लगभग 150 ठेले लगते हैं।

(21) इसके खण्डन में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से जांचकर्ता **ज्योति शर्मा एन ए डब्ल्यू 03/01** परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किये हैं कि ''मैंने प्रकरण में मृतक सुरमा प्रसाद की आय के संबंध में जांच की तो पाया कि मृतक दौसा सब्जी मण्डी में सब्जी का ठेला लगाता था। मृतक की कोई दुकान नहीं थी, केवल सब्जी मण्डी में फलों का ठेला लगाता था व अब वर्तमान में उसका बेटा ठेला लगाता है। मेरे द्वारा मृतक सुरमा प्रसाद के राशनकार्ड के बारे में जानकारी की तो जांच में पाया कि मृतक सुरमा प्रसाद का परिवार बी.पी.एल. श्रेणी का है व रसद विभाग एवं राज्य सरकार से बी.पी.एल. श्रेणी की मिल रही सभी सुविधाओं का लाभ कई वर्षों से ले रहा है, जिसका रिकॉर्ड भी प्राप्त किया है, जो प्रदर्श एन ए 3/2 ता 3/5 हैं। इसके अतिरिक्त मृतक की मीना फ्रूट भण्डार नाम से कोई दुकान/फर्म नहीं थी व रिटर्न में दिखाई गयी आय कतई गलत है क्योंकि मैंने दौसा सब्जी मण्डी में मृतक के

ठेले के आसपास लोगों से पूछताछ की थी, जिन्होंने बताया कि थोक मण्डी से बेचने के लिए सब्जी लाते है व रिटेल में बेचते है जिसका कोई हिसाब–किताब नहीं होता है, ना ही आय होती है, जिससे रिटर्न प्रस्तुत की जा सकें व मृतक सुरमा प्रसाद को ठेले पर ही सब्जी बेचना बताया है, अन्य कोई व्यापार नहीं बताया गया है'' तथा दस्तावेजी साक्ष्य में राशनकार्ड का विवरण प्रदर्श एन ए 03/01, अनुसंधान रिपोर्ट प्रदर्श एन ए 03/02, सूचना का अधिकार आवेदन–पत्र प्रदर्श एन ए 03/03, सूचना आवेदन–पत्र प्रदर्श एन ए 03/04, बी.पी.एल. राशनकार्ड का विवरण प्रदर्श एन ए 03/05, वाहन चालक व स्वामी को दिया गया नोटिस प्रदर्श एन ए 03/06, रजिस्ट्री की रसीद प्रदर्श एन ए 03/07 व एन ए 03/08, पावती रसीद प्रदर्श एन ए 03/09 व प्रदर्श एन ए 03/10 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि ''मैं 6-7 साल से अनुसंधान का काम कर रही हूं। अनुसंधान का काम करने के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, अजखुद कहा कि अनुसंधान करने के लिए कोई कोर्स नहीं होता है। मुझे बीमा कंपनी द्वारा मृतक की आय के संबंध में जांच हेतु नियुक्त किया गया था। मृतक को नगर परिषद, दौसा द्वारा फुटकर विक्रेता का लाईसेंस दिया गया हो तो इस संबंध में मैंने कोई जांच नहीं की है। यह सही है कि मृतक गणेश सब्जी मण्डी, दौसा में फल–फ्रूट का ठेला लगाता था। मृतक द्वारा अर्जित की जाने वाली आय के संबंध में इनकम टैक्स विभाग में आयकर जमा कराया हो तो इस संबंध में मैंने कोई जांच नहीं की है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मृतक की वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय 4,99,900/-रूपये हो। यह बात सही है कि मृतक की आय के संबंध में मैंने कोई जांच नहीं की अपितु उक्त तथ्य सब्जी मण्डी में आस–पड़ोस के दुकानदारों द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। मैं उन आस–पड़ौस के दुकानदारों के नाम आज नहीं बता सकती। यह बात सही है कि मेरे द्वारा प्रदर्शित कराए गए दस्तावेजात में किसी दुकानदार के लिखित बयान पेश नहीं है। यह सही है कि मैंने मृतक के कृषि से अर्जित की जाने वाली आय के संबंध में कोई जांच नहीं की है। यह कहना गलत है कि मैंने बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए गलत अनुसंधान किया हो, अजखुद कहा कि जो रिकॉर्ड बी.पी.एल का था, वो ही पेश किया है।''

(22) इसके अलावा मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पत्नी प्रार्थिया **कान्ता देवी डब्ल्यू 01** ने भी अपने सशपथ बयानों में दौराने **प्रतिपरीक्षण** यह कहा है कि ''मेरे पति ठेला लगाते थे। यह बात सही है कि मेरे पति सब्जी व फल खरीदते थे, उनके बिल मैंने पेश नहीं किये हैं। मैं यह भी नहीं बता सकती कितना माल खरीदते–बेचते थे। आज भी हमारी दुकान मण्डी में है किन्तु कोई उसको चलाने वाला नहीं है। बड़े वाला

लड़का विकलांग है। यह बात भी सही है कि मैंने कोई बैंक स्टेटमेन्ट पेश नहीं किया है। यह बात भी सही है कि मैंने अपने पति के द्वारा खरीदे–बेचे गये सामान का कोई भी बावचर बिल, लेजर प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित उपरोक्त गवाहान की मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट प्रकट होता है कि बरवक्त दुर्घटना मृतक सुरमा प्रसाद मीना गणेश सब्जी में फल–फ्रूट का ठेला लगाता था तथा फल–फ्रूट्स बेचने का कार्य करके आय अर्जित करता था, जिसके संबंध में मृतक का राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर व नगर परिषद, दौसा द्वारा जारी फुटकर विक्रेता कार्ड प्रदर्श 18 व 19 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें विक्रय वस्तु "फल" एवं विक्रय वस्तु स्थल गणेश मण्डी, दौसा अंकित है। जिससे मृतक सुरमा प्रसाद मीना गणेश सब्जी में फल–फ्रूट्स का ठेला लगाकर आय अर्जित करना बताया है, जिसकी आई.टी.आर. भरना बताया है, जिसके लिए प्रार्थीगण की ओर से मृतक सुरमा प्रसाद मीना को फल–फ्रूट्स बेचने से हुई आय बाबत वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की I.T.R. पेश की गई हैं, जो कि प्रदर्श 23 लगायत 25 हैं, जिनमें Nature of Business - Whole sale and Retail Trade - Retail sale of other product n.e.c. (09028) अंकित है, इसके लिए मृतक की पत्नी प्रार्थिया कान्ता देवी ए डब्ल्यू 01 ने अपने सशपथ बयानों में दौराने जिरह कहा है कि मेरे पति ठेला लगाते थे। यह बात सही है कि मेरे पति सब्जी व फल खरीदते थे, उनके बिल मैंने पेश नहीं किये हैं। मैं यह नहीं बता सकती कि कितना माल खरीदते–बेचते थे। आज भी हमारी दुकान मण्डी में है किन्तु कोई उसको चलाने वाला नहीं है। बड़े वाला लड़का विकलांग है। इसका समर्थन हंसराज कुमार ए डब्ल्यू 03 जो कि मृतक का बेटा है, ने अपने सशपथ बयानों में की है और कहा है कि मेरे पिताजी ठेला सुबह से शाम तक लगाते थे। मेरे पिताजी मण्डी से फल लाकर बेचते थे, जिसके बिल मैंने आज पेश नहीं किये हैं, क्योंकि कच्ची रसीद पर बिल बनाते थे। जिस जगह मेरे पिताजी फल का ठेला लगाते थे, उस मण्डी में फल व सब्जी के लगभग 150 ठेले लगते हैं। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से गवाह **ज्योति शर्मा एन ए डब्ल्यू 03/01** को साक्ष्य में परीक्षित करवाया है, जिसने मृतक के नगर परिषद, दौसा द्वारा जारी फुटकर विक्रेता के लाईसेंस के संबंध में कोई जांच नहीं करनी बताई है तथा मृतक द्वारा अर्जित की जाने वाली आय के संबंध में इन्कम टैक्स विभाग में आयकर जमा करवाया हो और I.T.R. पेश की हो, तो इस संबंध में भी कोई जांच नहीं करना बताया है। केवल सब्जी मण्डी में आस–पड़ौस के दुकानदारों द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर मृतक को सब्जी मण्डी में सब्जी का ठेला लगाना बताया है और किसी भी दुकानदार के लिखित बयान पेश नहीं किये है। और कहा है कि मृतक सुरमा

प्रसाद का परिवार बी.पी.एल. श्रेणी का है और राज्य सरकार से बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत मिल रही सभी सुविधाओं का लाभ कई वर्षों से ले रहा है, मात्र बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी I.T.R. भरी गयी है। समर्थन में मृतक के राशनकार्ड का विवरण प्रदर्श एन ए 3/1 व एन ए 3/5 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अनुसार मृतक को बी. पी.एल श्रेणी की सुविधाएं माह अप्रैल, 2016 से माह मई, 2025 तक प्राप्त हो रही थी, जिसे मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पत्नी कान्ता देवी ए डब्ल्यू 01 व पुत्र हंसराज कुमार ए डब्ल्यू 03 ने भी दौराने जिरह स्वीकार किया है, इससे प्रकरण में यह तो स्वीकृत स्थिति है कि मृतक व उसका परिवार राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहा है किन्तु प्रार्थीगण की ओर से मृतक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में भरी गयी I.T.R. अधिकरण में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई गई है जो कि मृतक की दुर्घटना में मृत्यु होने से पूर्व की है और लगातार 03 वर्षों की हैं। जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 ACJ 526 (S.C.), **Malarvizhi and Ors. v/s United India Insurance Co. Ltd and another** में अभिनिर्धारित किया है कि "Income tax return is a statutory document on which reliance may be placed to determine annuual income of the deceased." यही सिद्वांत 2025 ACJ 335 (S.C.), **Vijayalaxmi and another v/s National Insurance Co. Ltd and ors.** में प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा भी प्रार्थीगण ने मृतक की I.T.R. के अलावा मृतक का फ्रूट्स बेचने के व्यवसाय का नगर–परिषद, दौसा का Street Vendor Unique ID Card No. 328 प्रदर्श 19 प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रदर्श 18 नगर–परिषद, दौसा का फुटकर विक्रेता कार्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जिनमें विक्रय वस्तु में फल अंकित है, इसलिए मृतक सब्जी मण्डी में केवल सब्जी का ठेला लगाता हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मृतक की I.T.R. के आधार पर मृतक की आय का निर्धारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक प्रार्थीगण द्वारा बी.पी.एल. सुविधा का राज्य सरकार से लाभ लेने का प्रश्न है, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। चूंकि उक्त I.T.R. प्रदर्श 23 लगायत 25 के अनुसार मृतक सुरमा प्रसाद मीना द्वारा फल–फ्रूट्स बेचने के व्यवसाय से कुल आय वित्तीय वर्ष 2021 - 22 में 4,15,870/- रूपये, वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में 4,57,480/- रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में 4,99,900/- रूपये अर्जित करता था, जिनकी औसत आय 13,73,250/- रूपये है। इस प्रकार मृतक सुरमा प्रसाद मीना द्वारा फल–फ्रूट्स बेचने के व्यवसाय से उसकी औसत वार्षिक आय

4,57,750/- रूपये होती है। जिसमें से 10% आयकर की कटौती करने के पश्चात मृतक की वार्षिक आय 4,11,975/- रूपये बनती है।

(23) जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है ? तो प्रार्थीगण ने मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आयु क्लेम याचिका में 41 वर्ष अंकित की गयी है तथा पत्रावली पर मृतक सुरमा प्रसाद मीना का आधारकार्ड प्रदर्श 15, पैनकार्ड प्रदर्श 16, परिवार का जन–आधारकार्ड प्रदर्श 17 एवं मृतक का ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 20 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें मृतक की जन्मतिथि 01.01.1983 अंकित की गई है तथा मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पत्नी प्रार्थिया कान्ता देवी ए डब्ल्यू 01 ने अपनी सशपथ साक्ष्य में स्वयं की आयु 44 वर्ष बताई है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जन–आधारकार्ड प्रदर्श 17 में उसकी जन्मतिथि 23.10.1978 अंकित है तथा उसके आधारकार्ड में 02.07.1983 अंकित है। जबकि अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत मृतक सुरमा प्रसाद मीना के राशनकार्ड प्रदर्श एन ए 3/1 में मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आयु 49 वर्ष एवं उसकी पत्नी कान्ता देवी की आयु 44 वर्ष अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक सुरमा प्रसाद अपनी पत्नी से 05 वर्ष बड़ा था, इसलिए दुर्घटना दिनांक 26.07.2024 को मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आयु 49 वर्ष माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसके आधार पर मृतक की आयु 46 से 50 वर्ष के आयु–वर्ग के मध्य माना जाना उचित है।

आश्रितता की हानि के मद में देय राशि :–

(24) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सिविल) नंबर–25590/14 नेशनल इंश्यो.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य निर्णीत दि. 31.10.17** में यह माना है कि जहां मृतक अस्थाई रूप से स्वनियोजित तौर पर कार्य कर रहा हो और उसकी आयु 40 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य की हो तो उस स्थिति में मृतक की आमदनी में 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी। अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन लेने पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मृतका की उम्र को मद्देनजर रखते हुए मृतक की उपरोक्त आमदनी में 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार मृतक की उपरोक्त आमदनी में 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि मानते हुए मृतक की वार्षिक आमदनी – 4,11,975 + 25% = 5,14,968.75/- रूपये राउण्ड ऑफ कर 5,14,969/- रूपये निर्धारित की जाना उचित है।

(25) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्य 2009 डी.एन.जे. 684** में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुसार चूंकि मृतक सुरमा प्रसाद मीना पर उसकी पत्नी, पुत्री एवं पुत्रों को आश्रित बताया गया हैं। मृतक सुरमा प्रसाद मीना की पुत्री लक्ष्मी बाई मीना, पुत्र हंसराज

कुमार, बलराम एवं रोहित कुमार की आयु याचिका में क्रमशः 27 वर्ष, 24 वर्ष, 24 वर्ष एवं 18 वर्ष अंकित की गयी हैं तथा पत्रावली में मृतक सुरमा प्रसाद मीना के परिवार का जन–आधारकार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पुत्र हंसराज कुमार, बलराम एवं रोहित कुमार की आयु क्रमशः की आयु लगभग 23 वर्ष 11 माह, 22 वर्ष एवं 18 वर्ष और पुत्री लक्ष्मी कुमारी मीना की आयु लगभग 26 वर्ष 11 माह होती है, जिसके आधार पर मृतक सुरमा प्रसाद मीना के सभी पुत्र–पुत्री बालिग हैं। अतः ऐसी स्थिति में मृतक सुरमा प्रसाद मीना पर उसकी पत्नी कान्ता देवी को आश्रित मानते हुए मृतक की व्यक्तिगत खर्चे के लिए आमदनी 5,14,969/- रूपये में से 1/3 भाग की कटौती करने के उपरांत 5,14,969 - 1/3 = 3,43,312/- रूपये मानकर क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(26) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट कैसेज पेज 121** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मृतक सुरमा प्रसाद मीना की आयु 46 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होने के आधार पर 13 का गुणक प्रयोग मे लाया जाना न्यायसंगत है।

(27) तदनुसार प्रार्थीगण को आश्रितता की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 3,43,312 X 13 = 44,63,056/- रूपये का प्रतिकर दिलवाया जाना न्यायोचित है।

(28) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (4) टी.ए.सी. 673 नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य, 2023 (1) आर.ए.आर. 81 (एस.सी.) श्रीमती अंजलि व अन्य बनाम लोकेन्द्र राठौड व अन्य** एवं **राजवती उर्फ रज्जो व अन्य बनाम यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड व अन्य सिविल अपील नंबर 8179/2022** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार Conventional and Traditional Heads के अंतर्गत Loss of Consortium के अंतर्गत Spousal and Parental consortium भी सम्मिलित हैं एवं सहचर्य से वंचित होने के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के वारिसान क्षतिपूर्ति की राशि के उक्त शीर्ष में पृथक–पृथक रूप से 40,000 - 40,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा Loss of estate के मद में 20,000/- रूपये एवं Funeral expenses के मद में 20,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(29) इस प्रकार प्रार्थीगण नियमानुसार निम्नलिखित मदों में क्षतिपूर्ति राशि मृतक के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्र.सं.	**मद**	**गणना राशि रूपयों में**
1.	आश्रितता की हानि के मद में व भविष्यतर्वी आय की हानि के मद में	44,63,056/- रूपये
2.	Loss of Consortium के मद में (40,000 X 05)	2,00,000/- रूपये
3.	Loss of estate के मद में	20,000/- रूपये
4.	Funeral expenses के मद में	20,000/- रूपये
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**47,03,056/- रूपये**

(30) इस प्रकार प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **47,03,056/-रूपये (अक्षरे सैंतालीस लाख तीन हजार छप्पन रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुतोषः–

(31) इस प्रकार प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **47,03,056/-रूपये (अक्षरे सैंतालीस लाख तीन हजार छप्पन रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगर प्रार्थीगण ने पूर्व में कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की है तो वह राशि उक्त क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे। समायोजन के पश्चात शेष बची राशि पर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 24.09.2024 से वसूली तक 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

:: पंचाट ::

(32) निष्कर्षतः प्रस्तुत क्लेम याचिका प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अंतिम पंचाट इस कदर पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण प्रतिकर राशि स्वरूप कुल **47,03,056/-रूपये (अक्षरे सैंतालीस लाख तीन हजार छप्पन रूपये)** में से अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि अगर प्राप्त की हो तो उसे समायोजित करने के पश्चात शेष राशि 7.5% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्लेम याचिका पेश करने की तिथि 24.09.2024 से अदायगी तक अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(33) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः—

क्र.सं.	नाम प्रार्थीगण	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	कान्ता देवी मीना	16,03,056/- रूपये एवं देय ब्याज	06 लाख 06 लाख 07 लाख	03 वर्ष 05 वर्ष 07 वर्ष
2.	लक्ष्मी बाई मीना	1,00,000/-रूपये	02 लाख	02 वर्ष
3.	हंसराज कुमार	1,00,000/-रूपये	02 लाख	02 वर्ष
4.	बलराम	1,00,000/-रूपये	02 लाख	02 वर्ष
5.	रोहित कुमार मीना	1,00,000/-रूपये	02 लाख	02 वर्ष

(34) उक्त क्लेम याचिका में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य** में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के यूको बैंक, नया कटला दौसा में संचालित चालू खाता संख्या **04610210002988, IFSC CODE UCBA0000461** में जरिये **NEFT** या **RTGS** के माध्यम से 30 दिवस में जमा करवाये एवं इस अधिकरण को इसकी सूचना प्रस्तुत करे। उक्त राशि जमा होने पर प्रार्थीगण के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रचलित सर्वाधिक लाभकारी योजना में **FDR** करवाये। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(35) प्रार्थीगण इस आशय का शपथ पत्र भी पेश करें कि उन्होंने पूर्व में इस दुर्घटना के संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण से कोई क्लेम प्राप्त नहीं किया है।

(प्रेम राजेश)

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
दौसा, जिला दौसा—राजस्थान

(36) उक्त निर्णय/पंचाट आज दिनांक 30.03.2026 को खुले अधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रेम राजेश)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
दौसा, जिला–दौसा राजस्थान